न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर

पीठासीन अधिकारी : जयवीर सिंह R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 04/2018 दायर तारीख : 07.01.2018

1. राजेन्द्र पुत्र उमराव जाति मीना निवासी ग्राम दौल्यापुर, भावरु तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

—— प्रतिवादी

दावा बाबत हाल नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरूस्ती

उपस्थित : श्री जितेन्द्र कुमार पलसानियां, अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 19.12.2018

1. वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम दौल्यापुर के हाल खसरा नम्बर 4647/2684 रकबा 0.50 हैक्टेयर किस्म बारानी–3 का मूल खसरा नम्बर 2684/1.66 हैक्टेयर रहा है। वादी को मूल खसरा नम्बर 2684/1.66 हैक्टेयर मे से 0.50 हैक्टेयर दिनांक 29.06.1992 को कब्जे काश्त के आधार पर आवंटित की गई, जो गैरखातेदारी से खातेदारी जमाबन्दी में खसरा नम्बर 4637/2684/0.50 हैक्टेयर अंकन किया गया, जिसका वादी काबिज खातेदार काश्तकार है। भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने नक्शा ट्रेस में उक्त खसरा नम्बर की तरमीम मौके व कब्जे के विपरीत गलत रूप में कर दी जो काबिल दुरूस्ती है। आराजी मुतनाजा के मूल खसरा नम्बर 2684 में वादी का कब्जा काश्त मौके पर संलग्न नजरी नक्शा में अंकित लाल रंग अनुसार स्थित है, जो नजरी नक्शा अनुसार वादी के नाम हाल नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 4637/2684 दर्ज किए जाने योग्य है तथा इसी अनुसार रिकार्ड नक्शा ट्रेस में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.01.21 12:58:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

तरमीम की जाकर काबिल दुरूस्ती है। अतः निवेदन है कि आराजी भूमि हाल खसरा नम्बर 4637/2684 रकबा 0.50 हैक्टेयर ग्राम दौल्यापुर में स्थित भूमि को वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा में अंकित लाल रंग अनुसार एवं मुताबिक मौका कब्जा अनुसार हाल नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती फरमाई जाकर नक्शा रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने के आदेश फरमाया जावे।

2. वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नजरी नक्शा, नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 246 संवत् 2072–2075, नकल जमाबन्दी आंशिक खाता संख्या 1 संवत् 2072–2075 आदि पेश किए।
3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित, जवाब सरकार पेश किया।
4. पैरोकार सरकार का जवाब रहा कि ग्राम दौल्यापुर के खसरा नम्बर 4637/2684 रकबा 0.50 हैक्टेयर वादी को आवंटन शुदा भूमि है, जिसकी तरमीम राजस्व रिकार्ड, नक्शे में खातेदार के मौका कब्जा अनुसार नहीं है।
5. तहसीलदार विराटनगर से रिपोर्ट दिनांक 02.04.2018 प्राप्त की गई, जिसके मुताबिक ग्राम दौल्यापुर के खसरा नम्बर 2684/1.66 हैक्टेयर सिवायचक है, जिसमें रकबा 0.50 हैक्टेयर वादी के नाम आवंटन होकर खसरा नम्बर 4637/2684 रकबा 0.50 हैक्टैयर रिकार्ड में अंकन हुआ तथा शेष रकबा 1.16 हैक्टेयर सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। वादी का नक्शा लठ्ठा सीट में लाल स्याही से जो तरमीम है, उस जगह कब्जा काश्त नहीं है। तहसीलदार विराटनगर ने वादी के कब्जा काश्त अनुसार नक्शा लठ्ठा सीट में तरमीम के प्रस्ताव पेश किया है।
6. अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। ग्राम दौल्यापुर का मूल खसरा नम्बर 2684/1.66 हैक्टेयर सिवायचक दर्ज रिकार्ड रहा है तथा वादी को मूल खसरा नम्बर 2684/1.66 हैक्टेयर मे से 0.50 हैक्टेयर भूमि दिनांक 29.06.1992 को आवंटित की गई, जो गैरखातेदारी से खातेदारी खसरा नम्बर 4637/2684/0.50 हैक्टेयर का अंकन नामान्तकरण दिनांक 04.07.1992 द्वारा किया गया, जिसका वादी काबिज खातेदार काश्तकार है तथा शेष

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.01.21 12:58:02 IST
Reason: SelfAttested
Scanned by CamScanner

रकबा 1.16 हैक्टेयर सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। आराजी मुतनाजा के मूल खसरा नम्बर 2684 में वादी का कब्जा काश्त मौके पर संलग्न नजरी नक्शा में अंकित लाल रंग अनुसार स्थित है, जबकि नक्शा ट्रेस में उक्त खसरा नम्बर की तरमीम मौके व कब्जे के विपरीत गलत रूप में की गई है। यह भी कि तहसीलदार विराटनगर ने वादी के कब्जा काश्त अनुसार नक्शा लठ्ठा सीट में तरमीम के प्रस्ताव पेश किया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी अपने वादपत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

वादी का वाद डिक्री किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिए जाते हैं कि ग्राम दौल्यापुर की आराजी भूमि हाल खसरा नम्बर 4637/2684 रकबा 0.50 हैक्टेयर का मुताबिक वादी के मौका कब्जा अनुसार हाल नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जाकर नक्शा रिकार्ड में दर्ज किया जावे। मौके अनुसार प्रस्तावित तरमीम नक्शा निर्णय/डिक्री का भाग रहे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा/डिक्री तहरीर हो, पत्रावली दाखिल दफ्तर रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 19.12.2018 को सुनाया गया।

(जयवीर सिंह R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.01.21 12:58:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner